उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 932/पांच-8-2016-जी0(25)/2016

लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1837/पांच-11-2010-जी0(39)/2007टी0सी0, दिनांक 27-07-2010 द्वारा डा0 रूमाना, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी थी। पुनः शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2749/पांच-11-2010-जी0(39)/2007टी0सी0-111, दिनांक 16-09-2010 द्वारा डा0 रूमाना की फैजाबाद की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव के आदेश दिनांक 18-10-2010 द्वारा डा0 रूमाना की तैनाती सामु0स्वा0 केन्द्र, बांगरमऊ, उन्नाव में की गयी, जहां उनके द्वारा दिनांक 23-10-2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण डा0 रूमाना सुचारू रूप से अपनी सेवायें नहीं दे सकी। डा0 रूमाना द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में डा0 रूमाना द्वारा किये गये अनुरोध एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 रूमाना, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा0 रूमाना, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 28-07-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया

संयुक्त सचिव।

क्रमशः

U.O.M-R

संख्या- 932- (1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 रूमाना, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 28-07-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव/लखनऊ।

6- कोषाधिकारी, उन्नाव/लखनऊ।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

U.O.M-R

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 2156 /पांच-8-2016-म0(30)/2014

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/589/पांच-8-2015-म0(30)/2014, दिनांक 12-02-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 अमर नाथ सिंह की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्वार्थनगर के अधीन की गयी। डा0 अमर नाथ सिंह पी0जी0 कोर्स में अध्ययनरत होने के कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे। डा0 सिंह ने अपने पत्र दिनांक 01-06-2016 द्वारा अपनी पूर्व तैनाती को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 अमर नाथ सिंह, चिकित्साधिकारी की मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्वार्थनगरके अधीन की गई तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के अधीन एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 अमर नाथ सिंह, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-02-2015 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

जी0सी0 कठेरिया

संयुक्त सचिव।

संख्या- 2156 (1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती/लखनऊ मण्डल।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।

7- मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्वार्थनगर/सीतापुर।

8- कोषाधिकारी, सिद्वार्थनगर/सीतापुर।

9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

U.o-M-N

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या- 1877 /पांच-8-2016-जी0(119)/2016
लखनऊः दिनांक 28 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2014-म0(345)/2012, दिनांक 18-09-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 सुन्दारिका यादव की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के अधीन की गयी। डा0 सुन्दारिका यादव पी0जी0 कोर्स में अध्ययनरत होने के कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी थी।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 सुन्दारिका यादव, चिकित्साधिकारी की मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के अधीन की गई तैनाती को संशोधित करते हुए जिला महिला चिकित्सालय, बांदा में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 सुन्दारिका यादव, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-09-2014 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

जी0सी0 कठेरिया
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1877 (1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद/चित्रकूट धाम मण्डल ।
5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
8- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बांदा।
9- कोषाधिकारी, बाराबंकी/बांदा।
10- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

U.o-M-N